संख्या–2212/X–2–2005–19(37)/2003

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तरांचल, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 29 जुलाई, 2005

विषयः– वन्यजीवों द्वारा जान–माल की क्षति की दशा में देय आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का पुनरीक्षण.

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2384/25–1, दिनांक 04 फरवरी,2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या–238/14–4–96–836/92, दिनांक 06.12.1996 को अतिक्रमित करते हुए वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व घायल किए गये व्यक्तियों को अथवा उनके आश्रितों को तथा वन्य पशुओं द्वारा ग्राम वासियों के पालतू पशुओं को मारे जाने एवं जंगली हाथियों तथा सुअरों द्वारा ग्राम वासियों के मकान व फसलों को क्षति पहुचाये जाने की दशा में अनुग्रह (एक्स–ग्रेसिया) आर्थिक सहायता निम्नवत् प्रदान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– **वन्य पशुओं– बाघ, तेन्दुआ, लेपर्ड, स्नो–लेपर्ड (लकड़बग्घा), भालू, हाथी, मगरमच्छ एंव घड़ियाल द्वारा मानव क्षति पर देय मुआवजा:**

क्षति का प्रकार	देय धनराशि (रू0 में)
गम्भीर रूप से घायल	15,000/–
आंशिक रूप से अपंग	25,000/–
पूर्ण रूप से अपंग	1,00,000/–
अवयस्क की मृत्यु पर	50,000/–
वयस्क की मृत्यु पर	1,00,000/–

1.1 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रकिया एंव प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:–

(1) राजकीय चिकित्सक द्वारा पीड़ित व्यक्ति को वन्य प्राणी द्वारा मारे जाने, अपंग अथवा घायल कर दिये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिया जायेगा तथा वन विभाग के सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर के अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में पुष्टि की जायेगी.

(2) सम्बन्धित प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी को अधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति की मृत्यु वन्य प्राणी के द्वारा होने पर मृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि/क्रियाकर्म के लिये मृतक के परिवार या स्वजन को रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान तत्काल करेंगें जो बाद में स्वीकृत होने वाली अनुग्रह राशि से कम कर ली जायेगी.

(3) अनुग्रह राशि/आर्थिक सहायता की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अन्तिम जांच रिपोर्ट/संस्तुति मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल को प्रस्तुत की जायेगी जो मामले में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी होंगें.

(4) अनुग्रह राशि/आर्थिक सहायता का भुगतान करने से पूर्व मृतक/अपंग/घायल होने वाले व्यक्तियों के आश्रितों के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा.

..2

2- वन्य पशुओं- बाघ, तेन्दुआ, लेपर्ड/स्नो-लेपर्ड तथा जंगली सुअरों द्वारा पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय मुआवजा:

पशु का प्रकार	देय धनराशि (रू0 में)
गाय	3,000/-
घोड़ा, खच्चर	5,000/-
बैल (तीन वर्ष से अधिक आयु)	5,000/-
भैंस (तीन वर्ष से अधिक आयु)	5,000/-
गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पड़वा/ पड़िया	
(क) दो वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष से कम आयु	1,200/-
(ख) एक वर्ष से दो वर्ष की आयु	500/-
(ग) एक वर्ष से कम आयु तक	300/-
बकरी/भेड़	500/-

2.1 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रकिया एंव प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

(1) किसी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार में पालतू पशुओं के बाघ/गुलदार द्वारा मारे जाने की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (यथा संशोधित, वर्ष 2002) के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई हो.

(2) मवेशी के स्वामी द्वारा मवेशी के मारे जाने की सूचना घटना के दो दिन के भीतर निकटतम रेंज कार्यालय में दी गई हो.

(3) यदि मवेशी गौशाला या पशुशाला से अन्यत्र मारा गया हो तो उसके स्वामी या चरवाहे के मृत मवेशी के साथ होने की दशा में ही अनुग्रह सहायता देय होगी.

(4) मारे गये मवेशी के मृत शरीर को घटना स्थल से तब तक न हटाया जाय तब तक घटना की जांच स्थानीय वनाधिकारी द्वारा नहीं कर ली जाती है. मृत मवेशी के शव पर किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ न डाला जाय और और न हीं अन्यथा किसी भी प्रकार से मवेशी के शव से छेड़छाड़ की जाय.

(5) घटना की सूचना, घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी, जो वन क्षेत्राधिकारी या सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए. स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच कर जांच कर लेनी चाहिए जिसमें यथासम्भव क्षेत्र के किसी सम्मानित व्यक्ति से भी सम्पर्क किया जाना चाहिए और गांव के प्रधान (जहां हो) से भी मवेशी के प्रकार, आयु आदि के सम्बन्ध में प्रमाणित करा लेना चाहिए. जाचं रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय/वन्य जीव प्रतिपालक को भेज देनी चाहिए.

(6) घटना की अन्तिम जांच उक्त क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की जानी चाहिये.

(7) जांच के बाद अनुग्रह सहायता सम्बन्धी संस्तुति सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तरांचल को भेजी जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होगें.

..3

3- जंगली हाथियों तथा सुअरों के द्वारा ग्रामीणों की फसलों तथा जंगली हाथियों द्वारा मकान को क्षति पहुंचाये जाने की दशा में देय आर्थिक सहायता:

3.1 कृषि फसल की क्षति:

फसल का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (रू0 में)
(क) गन्ना	सम्पूर्ण फसल	रू0 4,000/- प्रति एकड़
(ख) धान/गेहूं/तिलहन	सम्पूर्ण फसल	रू0 3,500/- प्रति एकड़
(ग) उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	सम्पूर्ण फसल	रू0 2,000/- प्रति एकड़

3.2 मकान की क्षति:

मकान का प्रकार	क्षति की मात्रा	देय धनराशि (रू0 में)
(क) कच्चा मकान	पूर्ण रूप से	रू0 5,000/-
(ख) कच्चा मकान	आंशिक रूप से	रू0 2,000/-
(ग) झोपड़ी, टट्टर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर		रू0 1000/-

3.3 उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्न प्रकिया एंव प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जायेगा:-

(1) घटना की सूचना घटना के 24 घण्टे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी जो वन क्षेत्राधिकारी या सहायक वन्य जीव प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए तथा स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच कर जांच कर लेनी चाहिए, जिसमें यथा सम्भव क्षेत्र के प्रधान एवं किसी सम्मानित व्यक्ति को भी साथ में लिया जाना चाहिए. जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय प्रभागीय वनाधिकारी/वन्य जीव प्रतिपालक को भेज देनी चाहिए.

(2) कृषि फसलों की आंशिक रूप से क्षति होने की दशा में हानि के प्रतिशत का आंकलन कर सम्पूर्ण क्षति हेतु प्राविधानित धनराशि के उतने प्रतिशत तक ही आर्थिक अनुग्रह सहायता देय होगी.

(3) घटना की जांच उक्त क्षेत्र के सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा की जानी चाहिए जिसमें भूमि के स्वामित्व की पुष्टि भी कर ली जाय.

(4) जांच के बाद मुआवजा सम्बन्धी संस्तुति सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तरांचल को भेजी जानी चाहिए जो ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी होगें.

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में होने वाला समस्त व्यय अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन-01 -वानिकी-800-अन्य व्यय-09 जंगली जानवरों द्वारा सरकारी कर्मचारियों या आम जनता को जान-माल के नुकसान पर क्षतिपूर्ति-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-71/वित्त अनु0-2, दिनांक 26 जुलाई, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है.

भवदीय

(डॉ0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्या-2212(1)/X-2-2005, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल, देहरादून.
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून.
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल.
5. समस्त, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य, उत्तरांचल.
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन.
8. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून.
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून.
10. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल.
11. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल.
12. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु.
13. नीजि सचिव, मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ.
14. गार्ड फाईल-ए.

(श्याम सिंह)
अनु सचिव